संख्या:-81/2021/2415 ई-2/तेरह-2021-399616

प्रेषक,

उमेश कुमार तिवारी,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश,प्रयागराज।

आबकारीअनुभाग-2 **लखनऊ::दिनांक 10 दिसम्बर,2021**

विषय- मेसर्स वेव डिस्टिलरीज एण्ड ब्रिवरीज लि., जनपद अलीगढ़ में 60 कि.ली. प्रतिदिन क्षमता के ग्रेन प्लान्ट से ई.एन.ए. के साथ-साथ एथनॉल उत्पादन किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-जी-70/दो-प्रा.डी.-101/वेव, दिनांक15-11-2021 तथाप्रकरण में अपर मुख्य सचिव, आबकारी विभाग, उ.प्र.शासन की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक दिनांक 30-11-2021 में लिए गए निर्णय सम्बन्धी कार्यवृत्त संख्या-2376ई-2/तेरह-2021-399616, दिनांक 06-12-2021 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त पत्र दिनांक 15-11-2021 में आप द्वारा की गयी संस्तुति/प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त मेसर्स वेव डिस्टिलरीज एण्ड ब्रिवरीज लि., जनपद अलीगढ़ द्वारा पूर्व निर्गत शासनादेश दिनांक 13-07-2017 के क्रम में 60 कि.ली. प्रतिदिन क्षमता के ग्रेन आधरित प्लाण्ट से 90 प्रतिशत अर्थात 54 कि.ली. प्रतिदिन ई.एन.ए. का उत्पादन पेय मदिरा हेतु एवं शेष 10 प्रतिशत अर्थात 6 कि.ली. प्रतिदिन एथनाल व अन्य अल्कोहल का उत्पादन औद्योगिक उपयोग हेतु करने की अनुमति प्रदान किये जाने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान की जाती है:-

(1) आसवनी द्वारा नियमानुसार भारत सरकार के पर्यावरण, वनएवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का इन्वायरमेन्टल क्लीयरेन्स एवं प्रदूषणनियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र तथा अन्य विभागों से सुसंगत अधिनियमों/नियमों के अन्तर्गत अनापत्ति/अनुज्ञा आसवनी चलाये जाने से पूर्व प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

(2) ग्रेन से एथनॉल उत्पादन किये जाने हेतु इकाईद्वारा उत्पादन के परिप्रेक्ष्य में प्रयोग में लाये जाने वाले अनाज व अन्य पदार्थों की आपूर्ति को सुगम करने व अंतर्विभागीय

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

सामंजस्य स्थापित करनेएवं उत्पादनकर्ताओं की कठिनाईयों को संज्ञान लेकर उन्हें दूर किये जानेहेतु शासनादेश दिनांक 26-03-2021 के प्रस्तर-3(4)(छ) में उल्लिखितव्यवस्थानुसार मुख्य सचिव, उ.प्र. शासन की अध्यक्षता में गठित स्टीयरिंगकमेटी द्वारा निर्णय लिया जायेगा। उक्तानुसार अनाज व अन्य पदार्थों की आपूर्ति के परिप्रेक्ष्य में स्टीयरिंग कमेटी द्वारा यथास्थिति मानव उपयोग वपशु उपयोग हेतु वांछित अनाज व अन्य पदार्थों की प्रदेश की वार्षिक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन प्रश्नगत इकाई को करना होगा।

(3) इकाई द्वारा गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेज (जी.एम.पी.) का अनुपालन करते हुए उत्पादन सुनिश्चित किया जायेगा।

तदनुसार कृपया अग्रतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(उमेश कुमार तिवारी)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।